रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062026-273474
CG-DL-E-15062026-273474

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 430]	नई दिल्ली, सोमवार, जून 15, 2026/ज्येष्ठ 25, 1948
No. 430]	NEW DELHI, MONDAY, JUNE 15, 2026/JYAISTHA 25, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2026

सा.का.नि. 481(अ).— केंद्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, योधक लेखा सेवा काडर (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2022 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, योधक लेखा सेवा काडर (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, योधक लेखा सेवा काडर (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2022 की अनुसूची में, क्रम संख्या 1 के अंतर्गत सहायक कमांडेंट (लेखा आफिसर) पद से संबंधित स्तंभ (11) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

''प्रोन्नति द्वारा: वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 (44900-142400/-रू.) में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे निरीक्षक (लेखा) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और वित्त और लेखा में कम से कम तीन सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: ऐसे निरीक्षक (लेखा) जो भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, योधक लेखा सेवा काडर (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2026 के प्रारंभ की तारीख को या उससे पूर्व नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं, उनकी प्रोन्नति के लिए पात्रता की शर्त उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा होगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :

(क) केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और लेखा और बजट संबंधी कार्य में न्यूनतम चार वर्ष का अनुभव रखते हैं और वित्त और लेखा में तीन सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।

(ख) केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों के ऐसे अधिकारी जिन्होने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47600-151100/-रू.) में चार वर्ष की नियमित सेवा की है और लेखा और बजट संबंधी कार्य में न्यूनतम चार वर्ष का अनुभव रखते हैं और वित्त और लेखा में तीन सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है सधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।''।

[फा. सं. I-12012/07/2016- संगठन (खण्ड-II)]

पी.एस. डंगवाल, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, तारीख 22 जुलाई, 2022 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 595(अ), तारीख 21 जुलाई, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2026

G.S.R. 481(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, Combatant Accounts Cadre (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2022, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Combatant Accounts Cadre (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indo-Tibetan Border Police Force, Combatant Accounts Cadre (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2022, **in the Schedule**, against serial number 1 relating to the post of Assistant Commandant (Accounts Officer), in column (11), for the entries, the following shall be substituted, namely ; -

"By promotion: From amongst Inspectors (Accountant) of Indo-Tibetan Border Police Force in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix with five years of regular service in the grade and having successfully completed training of at least three weeks in finance and accounts.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: The eligibility condition for promotion of Inspector (Accountant) who are holding the post on regular basis, on or before the date of commencement of the Indo-Tibetan Border Police Force, Combatant Accounts Cadre (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2026, shall be three years of regular service in the grade.

By deputation:

(a) Officers of the Central Government holding analogous post on regular basis and having minimum four years experience in accounts and budgeting and having successfully completed training of three weeks in finance and accounts;

(b) Accounts officers in the Central Government Ministries or Departments in level-8 (Rs.47600 151100) in the pay matrix with four years regular service in the level and having minimum four years experience in accounts and budgeting and having successfully completed training of three weeks in finance and accounts.

Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

Note 3: The Departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment on promotion.".

[F. No. I-12012/07/2016-Org (Vol-II)]

P. S. DANGWAL, Director

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 22nd July, 2022, *vide* notification number G.S.R. 595(E), dated the 21st July, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA